समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

अधिहरण वाद संख्या–109/2022–23

जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)

–बनाम्–

प्रदीप गोराई

–::आदेश::–

02.06.2023

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–01/2023, दिनांक–27.01.2023 के द्वारा सूचित किया गया है कि चास(मु0) थाना कांड सं0–62/2022, दिनांक–28.06.2022, धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 21 खान एवं खनिज अधिनियम, 54 जे0एम0एम0सी0 एवं 13 जे0एम0 रूल के अन्तर्गत जप्त Sonalika Model No. DI-734, Engine No. 3100DL83F741195F3, Chasis No. HZQSG751125SM, रजि0 नं0– JH09AN-7010 एवं उस पर लदा लगभग 100 घनफीट बालू खनिज के विरूद्ध बिना ई–परिवहन चालान के परिवहन करने के आरोप में दर्ज किया गया है। फलस्वरूप जप्त वाहन एवं कोयला को The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत राजसात् की कार्रवाई करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

उक्त के क्रम में राज्य सरकार की ओर से विज्ञ सरकारी अधिवक्ता, बोकारो को सुना गया। विपक्षी पिछले पाँच तिथियों से सुनवाई के दौरान पुकार पर लगातार अनुपस्थित है।

राज्य सरकार की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि दिनांक–28.06.2022 को जिला खान निरीक्षक, बोकारो थाना प्रभारी, चास(मु0) एवं स्थानीय पुलिस बल के साथ एन0एच0 32 स्थित मुख्य पक्की सड़क के पास जाँच के क्रम में एक बालु लदे ट्रैक्टर को बिना ई–परिवहन चालान के खनिज का परिवहन करते हुए पकड़ा गया है। ट्रैक्टर का चालक पुलिस बल को देखतें ही फरार हो गया। जाँच के दौरान ट्रैक्टर पर 100 घनफीट बालु पाया गया। प्रश्नगत वाहन के द्वारा अवैध रूप से बालु खनिज का उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा था जो एम0एम0डी0आर0 एक्ट–1957 की धारा–4(1), 4(1A) का उल्लंघन है एवं धारा–21 के तहत दण्डनीय अपराध। फलस्वरूप विधिवत रूप से जप्ती सूची बनाकर वाहन एवं बालु को जप्त किया गया। अवैध तरीके से बालु का परिवहन करना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। उपरोक्त वर्णित

परिस्थिति में अवैध रूप से बालु का खनन/परिवहन के आरोप में Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के अन्तर्गत विपक्षी को किसी प्रकार की छुट नहीं दी जा सकती है।

विपक्षी श्री प्रदीप गोराईं, पिता हरिपद गोराईं, सा0–जाला घटियाली, थाना–पिण्ड्राजोरा जिला बोकारो पिछले कई तिथियों से सुनवाई के दौरान पुकार पर लगातार अनुपस्थित है। उनके के द्वारा अपने बचाव में अब तक किसी भी प्रकार का कारण–पृच्छा/लिखित बहस दाखिल नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उन्हें अपने बचाव में कुछ भी नहीं कहना है।

वर्णित परिस्थिति में विद्वान सरकारी अधिवक्ता की दलील एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के अवलोकन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि विपक्षी के द्वारा बिना वैध कागजात के ही बालु का उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा था। बालु के अवैध उत्खनन कर परिवहन करने से सरकार को राजस्व की क्षति हुई है एवं सरकारी सम्पत्ति की अवैध विनियमन में विपक्षी की संलिप्तता से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। फलस्वरूप जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–01/2023, दिनांक–27.01.2023 को स्वीकृत करते हुए चास(मु0) थाना कांड सं0–62/2022, दिनांक–28.06.2022, धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 21 खान एवं खनिज अधिनियम, 54 जे0एम0एम0सी0 एवं 13 जे0एम0 रूल के अन्तर्गत जप्त Sonalika Model No. DI-734, Engine No. 3100DL83F741195F3, Chasis No. HZQSG751125SM, रजि0 नं0–JH09AN-7010 एवं उस पर लदा लगभग 100 घनफीट बालू खनिज को अवैध रूप से उत्खनन एवं परिवहन करने के आरोप में राज्य सरकार के हित में राजसात् किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तदनुसार जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

02.6.23

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

02.6.23

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.01.21 14:11:34 +05:30
Location: 192.168.1.102